HRA En Isua The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10241

नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2011/ज्येष्ठ 9, 1933

No. 1024]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2011/JYAISTHA 9, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2011

का.आ. 1226(अ).—भारत के राष्ट्रपित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में तत्काल प्रभाव से आयकर निदेशालय (आपराधिक जांच), जिसे संक्षेप में डीसीआई के नाम से जाना जाएगा, के गठन का अनुमोदन करते हैं।

- 2. डीसीआई किसी प्रत्यक्ष कर कानून के अन्तर्गत अपराध के रूप में दंडनीय किसी वित्तीय निहितार्थ वाले आपराधिक मामलों के संबंध में कार्य सम्पन्न करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल है:
- (i) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 43) का अध्याय-XXII; और
- (ii) धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 27) का अध्याय-VIII
- 3. प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते समय डीसीआई से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने की अपेक्षा होगी:
 - (क) सीमापारीय, अन्तर्राज्यीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव वाली आपराधिक गतिविधियों में संदिग्ध रूप से शामिल व्यक्तियों एवं लेन-देनों के बारे में सूचनाएं तलाश करना एवं एकत्र करना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, तथा प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत दंडनीय हैं;

- (ख) ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल निधियों के स्रोत एवं प्रयोग की जांच करना:
- (ग) किसी प्रत्यक्ष कर कानून के अन्तर्गत घटित अपराध के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कराना;
- (घ) किसी आपराधिक गतिविधि के संबंध में किसी प्रत्यक्ष कर कानून के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोजन की शिकायत दाखिल करना;
- (ङ) सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय में दाखिल अभियोजन की शिकायत की देख-रेख के लिए विशेष अभियोजकों एवं अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं किराए पर लेना;
- (च) प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत आपराधिक अपराधों के प्रभावी अभियोजन के लिए उपयुक्त साक्ष्य संरक्षण कार्यक्रम निष्पादित करना अर्थात ऐसे गवाहों की रक्षा करना एवं पुनर्वास करना जो ऐसे अपराधों के अभियोजन में राज्य की सहायता करते हैं ताकि उनको किसी नुकसान से दूर रखा जा सके:
- (छ) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न करने वाले सीमापारीय, अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के अपराधों की जांच करने वाली भारत में किसी अन्य आसूचना या कान्न प्रवर्तन एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना तथा आवश्यक विशेषज्ञ, तकनीकी एवं संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करना;
- (ज) भारत में किसी केन्द्रीय या राज्य एजेंसी के साथ सूचना के आदान-प्रदान तथा सहयोग के लिए करार करना;
- (झ) विदेशी राज्यों की ऐसी एजेंसियों के साथ सूचना के आदान-प्रदान एवं अन्य सहयोग के लिए करार करना जो किसी अंतर्राष्ट्रीय करार या संधि के अन्तर्गत अनुमत हो सकता है; और
- (त्र) उपर्युक्त से संबंधित कोई अन्य मामला।
- 4. आयकर महानिदेशक (आपराधिक जांच) डीसीआई के अध्यक्ष होंगे जो मुख्य आयकर आयुक्त के रैंक के अधिकारी होंगे तथा नई दिल्ली में पदस्थ होंगे। डीसीआई केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में सदस्य (जांच) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का एक अधीनस्थ कार्यालय होगा।
- 5. डीसीआई के पास आठ आयकर निदेशक (आपराधिक जांच) होंगे जो दिल्ली, चण्डीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ में स्थित होंगे। आयकर आयुक्त के रैंक के अधिकारी इन निदेशालयों के अध्यक्ष होंगे जो ऐसे कार्यों का निष्पादन करेंगे जिन्हें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाएगा तथा उनको सींपा जाएगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास डीसीआई को सींपे गए कार्यों में संशोधन करने की सम्पूर्ण शक्तियां होंगी।

- 6. डीसीआई के मुख्यालयों में आयकर महानिदेशक (सीआई) होंगे जिन्हें आयकर निदेशक (सीआई), एक उप आयकर निदेशक (सीआई), एक उप आयकर निदेशक (सीआई), तथा आयकर अधिकारी के रैंक के विशेष एजेंट के रूप में ज्ञात अधिकारी एवं आयकर निरीक्षक के रैंक के एजेंट सहायता प्रदान करेंगे। डीसीआई के प्रत्येक आंचलिक निदेशालय का मुखिया एक आयकर निदेशक (सीआई) होगा जिसको एक अपर आयकर निदेशक (सीआई), एक उप आयकर निदेशक (सीआई) तथा विशेष एजेंटों तथा एजेंटों के एक सम्चित स्टाफ अन्पूरक सहायता प्रदान करेंगे।
- 7. इस समय डीसीआई की स्टाफ आवश्यकता की पूर्ति आयकर विभाग में आयकर महानिदेशक (आस्चना), आयकर निदेशक (आस्चना), तथा आयकर निदेशक (सीआईबी) के वर्तमान पदों में से की जाएगी। डीसीआई के लिए अंतिम स्टाफ आवश्यकता तथा भर्ती नियमों को अलग से अधिस्चित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 29/2011/फा. सं. 286/179/2009-आयकर (जांच-II)] रूपक कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2011

- **S.O. 1226(E).**—The President of India is pleased to approve the creation of the Directorate of Income Tax (Criminal Investigation), to be known in short as DCI, in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, with immediate effect.
- 2. The DCI will perform functions in respect of criminal matters having any financial implication punishable as an offence under any direct tax law including, inter alia:
- (i) Chapter XXII of the Income Tax Act 1961 (Act 43 of 1961); and
- (ii) Chapter VIII of the Wealth Tax Act 1957 (Act 27 of 1957).
- 3. The DCI, in discharge of its responsibilities under the direct tax laws, will be required to perform the following functions:
 - (a) To Seek and collect information about persons and transactions suspected to be involved in criminal activities having cross-border, interstate or international ramifications, that pose a threat to national security and are punishable under the direct tax laws;
 - (b) To investigate the source and use of funds involved in such criminal activities;

(c) To cause issuance of a show cause notice for offences committed under any direct tax law;

(d) To file prosecution complaint in the competent court under any direct tax

law relating to a criminal activity;

Fire the services of special prosecutors and other experts for pursuing osecution complaint filed in any court of a supetent jurisdiction;

(f) To execute appropriate witness protection programmes for effective prosecution of criminal offences under the direct tax laws, i.e. to protect and rehabilitate witnesses who support the state in prosecution of such offences so as to insulate them from any harm to their person;

(g) To coordinate with and extend necessary expert, technical and logistical support to any other intelligence or law enforcement agency in India investigating crimes having cross-border, inter-state or international ramifications that pose a threat to national security;

(h) To enter into agreements for sharing of information and other cooperation

with any central or state agency in India;

- (i) To enter into agreements for sharing of information and other cooperation with such agencies of foreign states as may be permissible under any international agreement or treaty; and
- (i) Any other matter relating to the above.
- The DCI will be headed by a Director General of Income Tax (Criminal 4. Investigation), who will be an officer of the rank of Chief Commissioner of Income Tax, and will be located in New Delhi. The DCI will function under administrative control of the Member (Investigation) in the Central Board of Direct Taxes (CBDT) and will be a subordinate office of CBDT.
- The DCI shall have eight Directors of Income Tax (Criminal Investigation) located at Delhi, Chandigarh, Jaipur, Ahmedabad, Mumbai, Chennai, Kolkata and Lucknow. These Directorates will be headed by officers of the rank of Commissioner of Income Tax who will perform such functions as are notified or assigned to them by the CBDT. The CBDT shall have all powers to amend the functions assigned to the DCI.
- The headquarters of the DCI shall consist of a Director General of Income Tax (CI) supported by a Director of Income Tax (CI), an Additional Director of Income Tax (CI), a Deputy Director of Income Tax (CI) and officials known as Special Agents of the rank of Income Tax Officer and Agents of the rank of Inspector of Income Tax. Each zonal Directorate of the DCI shall be headed by a Director of Income Tax (CI), and shall be supported by an Additional Director of Income Tax (CI), a Deputy Director of Income Tax (CI) and an appropriate staff complement consisting of Special Agents and Agents.

7. Presently, the staff requirement of DCI will be met from the existing posts of DGIT (Intelligence), DIT (Intelligence) and DIT (CIB) in the Income Tax Department. The final staff requirement and recruitment rules for the DCI will be notified separately.

[Notification No. 29/2011/ F. No. 286/179/2009-IT (Inv. II)] ROOPAK KUMAR, Under Secy.